NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN, Delhi, 23.12.2024
Page No. 7, Size:(5.93)cms X (6.92)cms.

'बच्चे की कस्टडी तय नहीं कर सकता एनएचआरसी'

अदालत से

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)को बच्चों की कस्टडी के विवाद की सुनवायी करने का अधिकार नहीं है।

उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त जज शारदा प्रसाद द्विवेदी की बेटी प्रीती के संदिग्ध हालत में मृत्यु के पश्चात उसके बच्चों की कस्टडी को लेकर उपजे विवाद में राज्य मानवाधिकार आयोग ने बच्चों को अपने समक्ष पेश किए जाने का आदेश दिया था। न्यायालय ने अपने आदेश में आयोग के उक्त आदेश को प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार से बाहर का बताते हुए, कस्टडी पर सुनवायी करने से रोक दिया है।

बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत : यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने प्रभा शंकर द्विवेदी व अन्य की याचिका पर पारित किया है। याची की ओर से अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी कि मामले में रिटायर्ड जज की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के पश्चात पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज हुयी है, जिसके पश्चात मृतका के पति रवींद्र को जेल भेजा जा चुका है।

NEW INDIAN EXPRESS, Online, 23.12.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC seeks ATRs from Centre, Maharashtra government on plight of sex workers in Mumbai

https://www.newindianexpress.com/nation/2024/Dec/22/nhrc-seeks-atrs-from-centre-maharashtra-government-on-plight-of-sex-workers-in-mumbai

The petitioner alleged inaction, negligence and failure of the center and State government, the abominable phenomenon continues unabated till date.

Suchitra Kalyan Mohanty Updated on: 22 Dec 2024, 7:33 pm 2 min read

The National Human Rights Commission (NHRC) sought Action Taken Reports (ATRs) on the issues of human trafficking, prostitution and plight of sex workers in different locations in Mumbai within eight weeks from the Secretary, Ministry of Women & Child Development, Government of India, New Delhi, the Chief Secretary, Govt. of Maharashtra and the DGP, Maharashtra.

Acting on a petition filed by noted human rights activist and Supreme Court lawyer, Radhakanta Tripathy, the NHRC sought the deatiled reports from the authorities concerned within eight weeks.

The petitioner, Tripathy, has raised the issue of human trafficking, sexual harassment, torture of minor girls and women in Mumbai Red light areas, due to the alleged failure and negligence of the government of Maharashtra.

Tripathy has submitted that the infamous Kamathipuram is one of the largest red-light areas, where more than 1500 destitute marginalized women inhabited 300-year-old dilapidated buildings. Each room is as small as 20 Square feet hotspot for transmission of diseases like TB, AIDS, HIV, STDs among others.

Citing the plight of the victims in some other red ight areas in Mumbai, Tripathy has requested the Commission to seriously consider the issues raised in the petition.

According to sources, after the action of the NHRC on the petitions of Tripathy, in cases of redlight areas like G B Road, Delhi the Government of Delhi has come up with action plans including a sex worker Policy in the State.

Also, his petitions in the NHRC on similar issues in Sonagachhi, Kolkatta and Bhubaneswar the State governments are actively considering the issues with visible result.

Tripathy also put forth the plight of sex workers during COVID across India and the NHRC also issued certain advisories subsequently.

The petitioner alleged inaction, negligence and failure of the center and State government, the abominable phenomenon continues unabated till date.

The Apex rights panel has alo sought reports from the authorities on social, legal and health points of view and rehabilitate the victims properly.

The NHRC also asked the authorities to submit an action taken report on the compliance of the directions of the Supreme Court laid down in the Budhadev Karmaskar against West Bengal state case.

The NHRC order stated the Authorities to “ensure the needful action, and submit their action taken reports in eight weeks.”

पूर्व CJI चंद्रचूड़ को मोदी सरकार क्या बड़ा पद देने जा रही, सच्चाई क्या है?

https://www.thelallantop.com/india/video/modi-government-big-post-give-to-former-cji-chandrachud-what-is-the-truth

19 दिसंबर को मीडिया में एक खबर उड़ती है कि पूर्व CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन माने NHRC का अध्यक्ष बना सकती है.

सचेंद्र प्रताप सिंह 23 दिसंबर 2024 (पब्लिश्डः: 00:46 IST)

19 दिसंबर को मीडिया में एक खबर उड़ती है कि पूर्व CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन माने NHRC का अध्यक्ष बना सकती है. खबर उड़ी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने 18 दिसंबर को NHRC के अगले अध्यक्ष को चुनने के लिए बैठक की थी. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल थे. फिर, इसी के बात ये अफवाह उड़ने लगी. अफवाह उड़ी तो जस्टिस चंद्रचूड़ तक भी पहुंची. जिसको उन्होंने झूठा करार दिया. देखें वीडियो.

Mau news: जागो ग्राहक जागो : रजिस्ट्री नहीं पहुंचाने पर डाकघर को 1.9 लाख देने का आदेश

https://www.inextlive.com/uttar-pradesh/varanasi/mau-news-wake-up-customers-wake-up-order-to-pay-rs-1-9-lakh-to-post-office-for-not-delivering-registry-1734892587

By: Inextlive | Updated Date: Mon, 23 Dec 2024 00:04:53 (IST)

मुख्य विकास अधिकारी मऊ कार्यालय को भेजी गई रजिस्ट्री को बिना किसी कारण वापस करना डाकघर को भारी पड़ गया. जिला उपभोक् ा विवाद प्रतितोष आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए उपडाकघर अमिला के पोस्ट मास्टर को एक लाख नौ हजार 20 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया. मामले में एक साल से अधिक समय तक सुनवाई चली थी.

मऊ : मुख्य विकास अधिकारी मऊ कार्यालय को भेजी गई रजिस्ट्री को बिना किसी कारण वापस करना डाकघर को भारी पड़ गया। जिला उपभोक् ा विवाद प्रतितोष आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए उपडाकघर अमिला के पोस्ट मास्टर को एक लाख नौ हजार 20 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया। मामले में एक साल से अधिक समय तक सुनवाई चली थी।

घोसी के जगदीशपुर निवासी जयनाथ पांडेय ने 09 जुलाई 2018 को जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत मिली सूचना को मुख्य विकास अधिकारी मऊ को रजिस्ट्री पत्र से भेजा था। इसे शासकीय विधियों द्वारा पहुंचाना आवश्यक था। लेकिन पत्र को उपडाकघर अमिला के तत्कालीन पोस्टमास्टर द्वारा बिना कोई बजह बताए और बिना किसी मोहर के परिवादी को वापस कर दिया गया। डाकघर के इस लापरवाही और कृत्य को पीड़ित के द्वारा नेशनल कंज्यूमर हेल्प लाइन पर शिकायत की गई। पीड़ित ने प्रधानमंत्री कार्यालय और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** को भी पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया। पीएमओ ने डाक विभाग को मामले को निस्तारित करने का निर्देश दिया। लेकिन डाकघर ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद परिवादी ने 20 दिसंबर 2021 को उपभो1ता फोरम का सहारा लिया और वाद दाखिल कर दिया। इसके बाद उपभो1ता फोरम ने 22 फरवरी 2022 को डाकघर को नोटिस भेजा। नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। इसके बाद आयोग ने 21 अप्रैल 2022 को एकपक्षीय रूप से आदेश पारित कर दिया।

फोरम ने यह किया गया आदेश

डाक विभाग ने रजिस्ट्री लेते समय कोई आपत्ति नहीं की। यदि विपक्षी का कथन यह हे कि प्रेषक व प्रापक के निर्धारित स्थान में नाम नहीं लिखा गया था तो संबंधित डाकघर के कार्मिक को पंजीकृत डाक के लिफाफा पर आपत्ति लगाकर वापस करना चाहिए था। त्रुटि का निराकरण करना चाहिए था। मुकदमे की नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई थी तो कोई उपस्थित नहीं हुआ। केवल स्पष्टीकरण दिया गया। यह स्पष्टीकरण विरोधाभासी है। नोटिस की डिलीवरी प्रापक न करने पर उपभो1ता को सेवा न देकर क्षति पहुंचाई गई

पूर्व CJI चंद्रचूड़ को मोदी सरकार क्या बड़ा पद देने जा रही, सच्चाई क्या है?

https://www.thelallantop.com/india/video/modi-government-big-post-give-to-former-cji-chandrachud-what-is-the-truth

19 दिसंबर को मीडिया में एक खबर उड़ती है कि पूर्व CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन माने NHRC का अध्यक्ष बना सकती है.

सचेंद्र प्रताप सिंह 23 दिसंबर 2024 (पब्लिश्डः: 00:46 IST)

19 दिसंबर को मीडिया में एक खबर उड़ती है कि पूर्व CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन माने NHRC का अध्यक्ष बना सकती है. खबर उड़ी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने 18 दिसंबर को NHRC के अगले अध्यक्ष को चुनने के लिए बैठक की थी. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल थे. फिर, इसी के बात ये अफवाह उड़ने लगी. अफवाह उड़ी तो जस्टिस चंद्रचूड़ तक भी पहुंची. जिसको उन्होंने झूठा करार दिया. देखें वीडियो.